



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 595- विनियम एवं का0वि0नी0 / पाकालि / 2019 - 15 - विनियम / 18 दिनांक 13 सितम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 13.09.2019 को परिचालन विधि से पारित किये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड कार्मिक अधिकारी सेवा विनियमावली-2019 (कारपोरेशन आदेश सं0 441-विनियम एवं काविनी/पाकालि/19-15-विनियम/18 दिनांक 22.08.2019) निम्नानुसार संशोधित की जाती है :-

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड कार्मिक अधिकारी सेवा विनियमावली-2019

(प्रथम संशोधन)

"उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 कार्मिक अधिकारी सेवा विनियमावली, 2019 के भाग-तीन "भर्ती / पदोन्नति" के अन्तर्गत भर्ती का स्रोत के विनियम सं0-7(2) की तालिका के क्रम सं0-02 में उप महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध) तथा महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध) के पद पर चयन किये जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति के गठन हेतु बिन्दु-05 की व्यवस्था को स्तम्भ-02 में उल्लिखित निम्नवत् व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

वर्तमान व्यवस्था (स्तम्भ-01)	प्रतिस्थापित व्यवस्था (स्तम्भ-02)
अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा की और अल्प संख्यक प्रतिनिधि जो निदेशक के स्तर से निम्न न हों।	अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा नामित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधि, जो अधीक्षण अभियन्ता से कम स्तर का न हो।

उक्त प्रतिस्थापन किये जाने के उपरान्त कारपोरेशन आदेश सं0 441-विनियम एवं काविनी/पाकालि/19-15-विनियम/18 दिनांक 22.08.2019 के माध्यम से निर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 कार्मिक अधिकारी सेवा विनियमावली, 2019 उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी एवं विनियमावली के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।"

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या: 595 (I)-का0वि0नी0 एवं वे0प्र0-29/पा0का0लि0/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
- 4- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।

कमश:.....02

(2)

- 6- समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 9- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 11- महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 13- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 14- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पा०का०लि०/उ०प्र० पा०ट्रां०का० लि०।
- 15- अनु सचिव (सचि०प्रशा०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 16- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 17- सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 18- समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० मुख्यालय, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 19- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 13.09.2019 को परिचालन विधि से पारित किये गये निर्णय के अनुपालन में।
- 20- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं० 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(राकेश भट्ट)

अनु सचिव (का०वि०नी० एवं विनियम)

संख्या: 595 (11)-का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पा०का०लि०/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि जन सम्पर्क / विज्ञापन अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विनियमावली को समाचार पत्रों (हिन्दी दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान एवं टाईम्स ऑफ इण्डिया अंग्रेजी के लखनऊ संस्करण) में अधिसूचित कराते हुए अनुभाग को सूचित करने का कष्ट करें।

(राकेश भट्ट)

अनु सचिव (का०वि०नी० एवं विनियम)